A12

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2018 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 04.06.2018

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

1-श्री दशरथ कुमार दमामी पिता छगनलाल दमामी निवासी 2357, गांव बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ At also दशरथ कुमार दमामी एवं श्रीमति सरला देवी पट्टा संख्या 90 वार्ड नम्बर 15 दमामीयों का मौहल्ला, बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ राज.

2-श्रीमति सरला देवी पत्नि दशरथ कुमार दमामी निवासी 83 वार्ड नं. 15 सब्जी मण्डी, गांव बेगूं, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

3-श्री ख्याली लाल पिता रामसुख जी निवासी मकान नम्बर 980 गांव बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री किशन सिंह गाडन, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 08.01.2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 2,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

A13

प्रकरण संख्या 44/2018 (रे.वि.)
ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड बनाम श्री दशरथ कुमार दमामी निवासी बेगूं, तहसील बेगूं वगैरा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 3 जमानती की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम व्यास ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 3 व उनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-
दशरथ कुमार दमामी पिता छगनलाल जी दमामी, निवासी 2357, गांव बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ पिन नम्बर 312223 At also दशरथ कुमार दमामी एवं श्रीमति सरला देवी पट्टा संख्या 90 वार्ड नम्बर 15 दमामीयों का मौहल्ला, बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग **467.50 स्क्वायर फीट है** चर्तुसीमाः-

पूर्व में	:-	**सड़क**	**पश्चिम में**	:-	**शिव जी दमामी का मकान**
उत्तर में	:-	**बज्जूलाल दमामी का मकान**	**दक्षिण में**	:-	**ज्योइंट रोड़**

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 17.07.2017 तक राशि रूपये 2,20,435/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

विपक्षी संख्या 3 (जमानती) के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया कि दशरथ कुमार का निजी मकान बेगूं में पट्टा संख्या 90, वार्ड नं. 15 दमामीयों का मौहल्ला में दो मंजिला स्थित है जिसकी कीमत अंदाजन 30,00,000/- रूपये है अतः दशरथ कुमार के मकान को नीलाम करके बैंक के रूपये वसूल किये जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A14

प्रकरण संख्या 44/2018 (रे.वि.)
ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड बनाम श्री दशरथ कुमार दमामी निवासी बेगूं, तहसील बेगूं वगैरा

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
चित्तौड़गढ़ (राज.)